उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-I/1170924/2025/16-1099/76/2025
लखनऊ दिनांक 11-12-2025

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)-2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों का मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है।

3. अतएव प्रवेश और फीस नियमन समिति की दिनांक 29.08.2025 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में संचालित बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2025-26 (01वर्ष) के लिये मानक शुल्क 54,100.00 (रू0 चौवन हजार एक सौ मात्र) निर्धारित किया जाता है।

Digitally signed by
PRABHAKAR CHANDRA MISHRA
Date: 11-12-2025 09:32:06

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले उ0प्र0।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. कुलसचिव, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ/मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर/हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा कानपुर, उ0प्र0।
6. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ0प्र0।
7. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
8. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
9. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
10. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
11. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत कराये।

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव

प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0

गौतमबुद्ध मार्ग, बासमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ।

द्वारा ई0मेल0

पृ0सं0–5821-22/प्र0फी0नि0स0/मानक शुल्क आदेश/2025 दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं को उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–I/1170924/2025/16-1099/76/2025 दिनांक 11.12.2025 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निजी सचिव अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति को महोदय के अवलोकनार्थ।

(डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह)
सचिव